



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 636) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना

18 जून 2026

सं०सं० 10/नि0-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026/4060—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तृतीय परन्तुक [बिहार वित्त अधिनियम, 2001 (अधिनियम सं0-11,2002) द्वारा यथा अन्तः स्थापित] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार उक्त अधिनियम की अनुसूची-1A के अनुच्छेद सं0-23 एवं 33 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं:-

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज का प्रकार	देय स्टाम्प ड्यूटी
23	अभिक्रमण पत्र (विक्रय पत्र मात्र)	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 6.6% (ख) अन्य परिस्थितियों में 7%
33	दान-पत्र	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 6.6% (ख) अन्य परिस्थितियों में 7%

2. राज्य में भूमि/संपत्ति के निबंधन में स्टाम्प शुल्क की सामान्य दर 7% निर्धारित की जाती है।

3. उक्त स्टाम्प ड्यूटी की दरें अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

18 जून 2026

सं०सं० 10/नि0-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026-4060 उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

The 18th June 2026

F.No. 10/Ni-10-(MVR Punirakshan)-03/2026/4060—In exercise of the powers conferred by 3rd proviso of Section-3 of the Indian stamp Act, 1899 {as inserted by the Bihar Finance Act, 2001(Act No-11 of 2002)}, the Governor of Bihar is pleased to substitute the Article no 23 and 33 of schedule-1A of the said Act by the following:-

Article No.	Types of Document	Stamp Duty Payable
23	Conveyance (Sale deed only)	(a) In case of transfer from male to female 6.6% (b) In any other case 7%
33	Gift deed	(a) In case of transfer from male to female 6.6% (b) In any other case 7%

- The general rate of stamp duty for the registration of land/property in the state is fixed at 7%.
- Rates of the said Stamp duty shall be effective from the date of issuance of the notification.

By the order of Governor of Bihar,
Ajay Yadav,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 636-571+500-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>